मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 16 जुलाई, 1997 (आषाढ़ 25, 1919)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगेः-

(1) मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अध्यादेश, 1997 (क्रमांक 1 सन् 1997)

(2) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (क्रमांक 2 सन् 1997)

(3) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (क्रमांक 3 सन् 1997)

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 17 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-3-96-एक-10 दिनांक 9 मई, 1997 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री महेन्द्र सिंह, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-9-11-95-तेईस-यो-दो दिनांक 4 मार्च, 1997 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री बी.आर.यादव, कृषि मंत्री, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (क्रमांक 20 सन् 1987) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट उत्तर एवं प्रबंध मंडल की टिप्पणी वर्ष 1993-94 (अनुभाग-1) तथा वर्ष 1994-95 (अनुभाग-1) पटल पर रखेंगे.

(4) श्री बी.आर.यादव, कृषि मंत्री, जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 1994-95 (संचालक स्थानीय निधि लेखा द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियाँ स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमंडल की टिप्पणी) पटल पर रखेंगे.

(5) श्री जसवंत सिंह, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 15 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-21-97-विक-पांच (14) दिनांक 1 अप्रैल, 1997 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित का 24 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1989-90 पटल पर रखेंगे.

(7) श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्य मंत्री, खनिज साधन, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 20 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार खनिज साधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 19-53-87-बारह-2 दिनांक 19 जून, 1997 पटल पर रखेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति तथा स्वीकृति

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि -

"सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है."

5. फरवरी-मार्च, 1997 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

6. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 1997 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.